संख्या- 72/2025 /1632/पांच-9-2025

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त,2025**

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-31851(सी)/2024 'एक्स' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26-09-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-31851(सी)/2024 'एक्स' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 26-09-2024 को पारित आदेश के क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

In light of the same, we direct the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, Uttar Pradesh to issue a circular providing a comprehensive Standard Operating Procedure to be followed by the Chief Medical Officers and the Medical Boards in such cases.

2- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, **1971** प्रख्यापित किया गया है, जोकि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। प्रदेश की समस्त इकाईयों (निजी व सरकारी दोनो) पर गर्भसमापन की सेवायें गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, **1971** व गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, **2003** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जानी हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, **1971** व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भसमापन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/सु0गर्भ0से0 /104/2013-14/1400-75, दिनांक 02-07-2013, महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या-प0क0/10-जे0डी0/2016/5065-93, दिनांक 19-05-2016 व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ पत्र संख्या-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/FP-CAC/104/2021-22/6475-3, दिनांक 10-01-2022 एवं शासन के पत्र संख्या-41/पॉच-9-2024, दिनांक 08-04-2024 के द्वारा निर्गत किये गये है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-31851(सी)/2024 'एक्स' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26-09-2024 के अनुपालन में उक्त दिशा-निर्देशों में की गयी व्यवस्था के साथ ही गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, **1971** व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भसमापन हेतु पुनः विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न कर जारी किये जा रहे है। उक्त दिशा-निर्देशों के साथ सम्बन्धित अधिनियम-1971 एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम-2003 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह से विचलन या विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर कड़ी कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
26.08.2025

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- /1632(1)/पॉच-9-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त पुलिस कमिशनर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(4) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(7) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
(8) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
(9) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(10) महानिदेशक, प्रशिक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भ समापन हेतु मानक संचालन प्रक्रियायें **(Standard Operating Procedures)** ।

—: अनुक्रमणिका :—

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
01	मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता।	01
02	गर्भावस्था की समयावधि के आधार पर गर्भ के समापन हेतु उपयोग की जा सकने वाली पद्धति एवं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हेतु अनुभव एवं प्रशिक्षण।	02—05
03	24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन हेतु पात्र स्त्रियाँ।	06
04	24 सप्ताह से अधिक समयावधि की गर्भावस्था के समापन हेतु पात्र स्त्रियाँ।	07—08
05	गर्भ के समापन हेतु स्थान एवं जिला स्तरीय समिति।	09
06	गर्भ समापन हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपराध के दोषी नही होगें एवं स्त्री की निजता का संरक्षण।	10
07	विविध प्रपत्र।	11—17
08	दण्ड के प्राविधान।	18
09	यौन हिंसा या बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार के कारण गर्भसमापन के मामलों हेतु दिशा—निर्देश।	19—20
10	मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5194/2024 A (Mother of X) Vs. State of Maharashtra & Anr. में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2024 के मुख्य बिन्दु।	21
11	सन्दर्भ।	22

मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत गर्भपात का अधिकार सम्मान, स्वायत्ता और प्रजनन सम्बन्धी विकल्प का सहवर्ती अधिकार है। गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यन्त निजी होता है। अतः यह आवश्यक है कि गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से उसके मौलिक अधिकार से समझौता न किया जाये।

सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (एम0टी0पी0 एक्ट, 1971) प्रख्यापित किया गया है, जोकि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। गर्भसमापन की सेवायें गर्भ का अधिनियम, 1971 के साथ–साथ गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 2003 (एम0टी0पी0 रूल्स 2003) व गर्भ का चिकित्सकीय समापन विनियम, 2003 (एम0टी0पी0 रेगूलेशन 2003) में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदान की जानी हैं।

कतिपय मामलों में ऐसा भी घटित हुआ है कि यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में भी पीड़िता को अनचाहे बच्चे को मजबूरीवश जन्म देना पड़ा। चिकित्सकों के मध्य समुचित जानकारी न होने के कारण जहाँ एक ओर पीड़िता को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर उसके गर्भ की समयावधि बढ़ जाने के कारण उसे चिकित्सकीय जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 31851/2024 'X' Vs. State of Uttar Pradesh And 3 Others में पारित निर्णय दिनांक 26 सितम्बर 2024 के अनुपालन में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में यह गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भसमापन हेतु मानक संचालन प्रक्रियायें विकसित की जा रही हैं।

गर्भावस्था की समयावधि के आधार पर गर्भ के समापन हेतु उपयोग की जा सकने वाली पद्धति (Method) एवं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हेतु अनुभव एवं प्रशिक्षण

गर्भ के समापन हेतु पद्धतियाँ (Methods)

एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ड.) में निहित प्राविधानों के अनुसार गर्भ का समापन निम्नलिखित 02 पद्धतियों के माध्यम किया जा सकता है:–

(1) चिकित्सीय पद्धति (Medical Method)
(2) शल्य चिकित्सा पद्धति (Surgical Method)

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हेतु अनुभव एवं प्रशिक्षण

गर्भावस्था की समयावधि के आधार पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का अनुभव एवं प्रशिक्षण, एम0टी0पी0 रूल्स 2003 के नियम 4 के अनुसार होना चाहिए। नियम 4 में निम्नवत् प्राविधान वर्णित किये गये हैं:–

नियम 4–धारा 2 के खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में निम्नलिखित में से एक या अधिक का अनुभव या प्रशिक्षण होगा, अर्थात:–

(क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव।

(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है:–

(i) यदि उसने स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में छः मास की हाउस सर्जेंसी पूर्ण कर ली है, अथवा

(ii) जब तक उसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था नही हैं, यदि उसके पास किसी अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय का एक वर्ष से अन्यून का अनुभव हो, अथवा

(ग) यदि उसने सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में, गर्भ के चिकित्सकीय समापन के 25 मामलों में, किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सहायता की हो, जिनमें से उसने कम से कम पाँच मामलों को स्वतंत्र रूप से किया हो।

(i) यह प्रशिक्षण पहली तिमाही के (गर्भावधि के 12 सप्ताह तक) गर्भ का समापन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर एम पी) को समर्थ बनाएगा।

(ii) चौबीस सप्ताह तक के गर्भ का समापन करने के लिए उप–नियम (क), उप–नियम (ख) और उप–नियम (घ) के अधीन यथाविहित अनुभव और प्रशिक्षण लागू होगा।

(गक) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास गर्भ समापन चिकित्सा पद्धतियों द्वारा नौ सप्ताह तक की गर्भावधि के गर्भ समापन को करने के लिए निम्नलिखित अनुभव और प्रशिक्षण होगा, अर्थात :–

(i) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान व्यवसाय का तीन मास से अन्यून अवधिं का किसी चिकित्सालय का अनुभव, या

(ii) उसने सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में गर्भ के चिकित्सकीय समापन के दस मामलों को गर्भ समापन की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से किया हो

(घ) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो चुका हो और स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा धारी हो, ऐसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के दौरान प्राप्त अनुभव अथवा प्रशिक्षण।

गर्भावस्था की समयावधि, उपयोग की जा सकने वाली पद्धति, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या व उनकी अर्हता का संक्षित विवरण

गर्भावस्था की समयावधि	राय हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	पद्धति	अर्हता
01	02	03	04
09 सप्ताह से कम या 09 सप्ताह तक	01 चिकित्सक **धारा 3(2)(क) व 3(2क)**	चिकित्सा पद्धति (Medical Method) **नियम 4क(1)(क)**	धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(क) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ख) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ग) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(गक) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(घ)
12 सप्ताह तक	01 चिकित्सक **धारा 3(2)(क) व 3(2क)**	शल्य चिकित्सा पद्धति (Surgical Method) **नियम 4क(1)(ख)**	धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(क) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ख) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ग) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(घ)
12 सप्ताह से अधिक एवं 20 सप्ताह तक	01 चिकित्सक **धारा 3(2)(क) व 3(2क)**	शल्य चिकित्सा पद्धति (Surgical Method) **नियम 4क(1)(ग)**	धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(क) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ख) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(घ)
20 सप्ताह से अधिक एवं 24 सप्ताह तक	02 चिकित्सक (राय/गर्भ का चिकित्सकीय समापन 02 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा किया जाना है एवं	शल्य चिकित्सा पद्धति (Surgical Method) **नियम 4क(2)**	धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(क) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ख) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित

गर्भावस्था की समयावधि	राय हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	पद्धति	अर्हता
01	02	03	04
	गर्भ समापन के उपरान्त् नियत **प्रपत्र–ड.** पर दोनों चिकित्सकों द्वारा नियत स्थान पर विधिवत् हस्ताक्षर भी किये जाने हैं।) **धारा 3(2)(ख) व 3(2क)**		नियम 4(घ)
24 सप्ताह से अधिक	राय "राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा नियत प्रपत्र–घ पर प्रदान की जानी है एवं 02 अर्ह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा "राज्य मेडिकल बोर्ड" के विनिश्चय के आधार पर गर्भ का समापन किया जायेगा। **धारा 3(2ख)**	शल्य चिकित्सा पद्धति (Surgical Method) **नियम 4क(3)**	धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(क) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(ख) अथवा धारा 2(घ) के साथ पठित नियम 4(घ)

नोटः–यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र 24 सप्ताह से ऊपर की गर्भावस्था के समापन हेतु "राज्य मेडिकल बोर्ड" की राय अनिवार्य है। 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था हेतु गर्भ समापन की कार्यवाही उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 02 में वर्णित पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या के राय के अनुसार की जा सकती है।

24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन हेतु पात्र स्त्रियाँ

एम0टी0पी0 अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 3(ख) में निहित प्राविधानों के अनुसार **24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पात्र स्त्रियाँ** निम्नवत् हैं:—

1. यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी (Survivors of sexual assault or rape or incest)

2. अल्पव्यय (Minors)

3. गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह–विच्छेद) (Change of marital status during the ongoing pregnancy) (widowhood and divorce)

4. शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियाँ (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदण्डों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता (women with physical disabilities (major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)

5. मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अन्तर्गत बौद्धिक दिव्यांगता वाली स्त्रियाँ भी है (Mentally ill women including women with intellectual disability)

6. भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गम्भीर रूप से अक्षम हो (the foetal malformation that has substancial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped)

7. मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाये (Women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by Government)

24 सप्ताह से अधिक समयावधि की गर्भावस्था के समापन हेतु पात्र स्त्रियाँ

- 24 सप्ताह से अधिक की समयावधि के गर्भसमापन हेतु एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2ग) व उपधारा 2(घ) के प्राविधानों के अनुसार गठित "राज्य मेडिकल बोर्ड" की राय अनिवार्य है।

- एम0टी0पी0 अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2ख) के साथ पठित एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 3(क) में निहित प्राविधानों के अनुसार **24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के समापन के लिए पात्र स्त्रियाँ निम्नवत् हैं:–**

    गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति अंतर्वलित होगी (The Continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health)

    अथवा

    इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गम्भीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होगा (There is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from any serious physical or mental abnormality)

- शासन (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 अगस्त 2022 के माध्यम से "विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ" की अध्यक्षता में निम्नवत् **"राज्य मेडिकल बोर्ड"** गठित किया गया है:–

    1. **विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी,** के0जी0एम0यू0, लखनऊ। – अध्यक्ष
    2. **विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग,** के0जी0एम0यू0, लखनऊ। – सदस्य
    3. **विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग,** के0जी0एम0यू0, लखनऊ। – सदस्य
    4. **विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग,** एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ। – सदस्य
    5. **विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी,** डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। – सदस्य

6. **विभागाध्यक्ष, साईक्रियाट्री,**
के0जी0एम0यू0, लखनऊ
द्वारा नामित साईक्रियाट्री — सदस्य काउंसलर

7. **चिकित्सा अधीक्षक,**
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
(प्रतिनिधि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) — सदस्य सचिव

8. **विभागाध्यक्ष, जेनेटिक्स,**
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ। — सदस्य

- **राज्य मेडिकल बोर्ड के कृत्य** इस प्रकार हैं:—

  - ➢ स्त्री और उसकी रिपोर्टों का परीक्षण करना, जो धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए पहुँचे।
  - ➢ धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गर्भ के समापन या समापन के आवेदन को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में **प्रारूप "घ"** में चिकित्सा बोर्ड की राय प्रदान करना।
  - ➢ यह सुनिश्चित करना कि समापन प्रक्रिया की जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाये, तो वह धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन की तारीख से पाँच दिनों के भीतर समुचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा पूर्वावधानियों के साथ की जायें।

नोट:—

1. 24 सप्ताह से अधिक की समयावधि की गर्भावस्था सम्बन्धित समस्त मामलों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से राज्य मेडिकल बोर्ड की राय हेतु तत्काल सन्दर्भित किया जाना है।
2. राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनी राय को मात्र एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (2ख) के प्राविधानों तक ही सीमित नही किया जाना है अपितु बोर्ड द्वारा अपनी राय प्रदान करते समय गर्भवती व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाना है।
3. बलात्कार/यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता की गर्भावस्था की समयावधि 24 सप्ताह से अधिक होने की दशा में भी उसके गर्भ का समापन "राज्य मेडिकल बोर्ड" की राय के उपरान्त् किया जा सकता है क्योंकि इस गर्भावस्था के जारी रहने से उसके मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति पहुँचती है।
4. उक्त आशय के आदेश मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5194/2024 A (Mother of X) Vs. State of Maharashtra & Anr. में भी निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2024 के माध्यम से पारित किये गये हैं।

गर्भ के समापन हेतु स्थान एवं जिला स्तरीय समिति

अनुमोदित स्थान

एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 4(क) व 4(ख) में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर गर्भ का समापन किया जा सकता है:–

(1) सरकार द्वारा स्थापित या पोषित अस्पताल।

अथवा

(2) जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित स्थान।

जिला स्तरीय समिति

एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 4(ख) के साथ पठित एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 3 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय समिति की संरचना व कार्यवधि निम्नवत् है:–

संरचना:–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी– पदेन अध्यक्ष
- स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन/एनेस्थेटिस्ट– सदस्य
- स्थानीय चिकित्सा व्यवसायी– सदस्य
- गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि– सदस्य
- पंचायती राज संस्था का प्रतिनिधि– सदस्य

कार्यवधि–02 कलैण्डर वर्ष

गर्भ समापन हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपराध के दोषी नही होगें:–

एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 5 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी अपराध के दोषी नही होगें जब–

(क) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 के उपबन्धों के अनुसार गर्भ समापन किया जाये। **धारा 3(1)**

अथवा

(ख) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सद्भावपूर्वक यह राय कायम की होकि उस गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है। **धारा 5**

नोट:– मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5194/2024 A (Mother of X) Vs. State of Maharashtra &Anr.में इस सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2024 के माध्यम से निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:–

> **"The MTP Act protects the RMP and the medical boards when they form an opinion in good faith as to the termination of pregnancy."**

स्त्री की निजता का संरक्षण

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जिस स्त्री का इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भ समापन किया गया, के नाम व अन्य विवरण को गुप्त रखा जायेगा। **(धारा 5क)**

विभिन्न प्रपत्र

गर्भ समापन हेतु गर्भवती महिला अथवा उसके सरंक्षक द्वारा दी जाने वाली सहमति

एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 9 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गर्भ समापन हेतु गर्भवती महिला द्वारा अथवा उसके संरक्षक द्वारा सहमति **प्रारूप–ग** पर दी जानी है।

24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के समापन हेतु राज्य मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 3क(ख)(ii) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के समापन हेतु राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा रिपोर्ट **प्रारूप–घ** पर दी जानी है।

20 सप्ताह से अधिक 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय हेतु प्रारूप

एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 4क के उपनियम (2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 20 सप्ताह से अधिक 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राय **प्रारूप–ड.** पर दी जानी है।

20 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय हेतु प्रारूप

एम0टी0पी0 विनियम, 2003 के विनियम 3 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था के समापन के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राय **प्रारूप–I** पर दी जानी है।

इकाईयों द्वारा प्रेषित की जाने वाली मासिक रिपोर्ट

एम0टी0पी0 विनयम, 2003 के विनियम 4(5) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई द्वारा मासिक रिपोर्ट **प्रारूप–II** पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायी जानी है।

इकाईयों पर रख–रखाव हेतु एडमिशन रजिस्टर

एम0टी0पी0 विनयम, 2003 के विनियम 5 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई पर एडमिशन रजिस्टर का रख–रखाव **प्रारूप–III** पर किया जाना है।

प्रपत्र–ग

Form C

(See rule 9)

I...daughter/wife of..

aged about..............................years of ....

(here state the permanent address) at present residing at..

do hereby give my consent to the termination of my pregnancy at ....

....(state the name of place where the pregnancy is to be terminated)

Place:

Date:

Signature

(To be filled in by guardian where the woman is a mentally ill person or minor)

I...son/ daughter/ wife of ....

aged about.......................................years of..

(permanent address)

at present residing at .... do

hereby give my consent to the termination of the pregnancy of my ward ....

.... who is a minor/ mentally ill person at ....

....(place of termination of pregnancy)

Place:

Date:

Signature

Dhano

प्रपत्र–घ

FORM D

(See sub-clause (ii) of clause (b) of rule 3A)

Report of the Medical Board for Pregnancy Termination Beyond 24 weeks

Details of the woman seeking termination of pregnancy:

1. Name of the woman:
2. Age:
3. Registration/Case Number:
4. Available reports and investigations:

S.No	Report	Opinion on the findings

5. Additional Investigations (if done):

S.No	Investigations done	Key findings

6. Opinion by Medical Board for termination of pregnancy:
   a) Allowed
   b) Denied

Justification for the decision:

7. Physical fitness of the woman for the termination of pregnancy:
   a. Yes
   b. No

Members of the Medical Board who reviewed the case:

S.No	Name	Signature

Date and Time: ....

प्रपत्र–ड.

FORM E

Opinion Form of Registered Medical Practitioners

(For gestation age beyond twenty weeks till twenty-four weeks)

[See sub-rule (2) of rule 4A]

I ....

(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

....

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

I ....

(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

....

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

hereby certify that we are of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of

....

(Full name of pregnant woman in block letters)

resident of ....

(Full address of pregnant woman in block letters)

which is beyond twenty weeks but till twenty-four weeks under special circumstances as given below*.

*Specify the circumstance(s) from (a) to (g) appropriate for termination of pregnancy beyond twenty weeks till twenty-four weeks:

(a) Survivors of sexual assault or rape or incest

(b) Minors

(c) Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce)

(d) Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)]

(e) Mentally ill women including mental retardation

(f) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped

(g) Women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as declared by Government

We hear by give intimation that we terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the Serial No. .... in the Admission Register of the hospital / approved place.

Signature of the Registered Medical Practitioner

Place:

Signature of the Registered Medical Practitioner

Date:

Note: Account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.

FORM I

RMP Opinion Form

(For gestation age upto twenty weeks)

[See Regulation 3]

I ____

(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

____

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

hereby certify that I am of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of ____

(Full name of pregnant woman in block letters)

resident of ____

(Full address of pregnant woman in block letters)

for the reasons given below*.

I hereby give intimation that I terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the Serial No. ______________________ in the Admission Register of the hospital/approved place.

Place:

Date:

Signature of the Registered Medical Practitioner

*of the reasons specified items (a) to (e) write the one which is appropriate:

a. in order to save the life of the pregnant women,
b. in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman,
c. in view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,
d. as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape,
e. as the pregnancy has occurred as a result of failure of any contraceptive device or methods used by a woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy.

Note: Account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.

Place:

Date: Signature of the Registered Medical Practitioner

FORM II

[Refer Regulation 4(5)]

Month & Year: ....

1. Name of the State:

2. Name of Hospital/approved place:

3. Duration of pregnancy: *(Give total number only under each sub-head)*
(a) Upto 9 weeks (Medical Methods of Abortion Only):
(b) Upto 12 weeks (Surgical Methods of Abortion Only):
(c) Between 12-20 weeks:
(d) Between 20 -24 weeks:
(e) Beyond 24 weeks:

4. Religion of woman: *(Give total number under each sub-head)*
(a) Hindu:
(b) Muslim:
(c) Christian:
(d) Others:

5. Termination with acceptance of contraception: *(Give total number under each sub-head)*
(a) Sterilization:
(b) IUCD:
(c) OCP/Injectable Contraceptive:
(d) Others:

6. Reasons for termination: *(Give total number under each sub-head)*

A. Up to 20 weeks of gestation
(a) Danger to the life of the pregnant woman:
(b) Grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman:
(c) Pregnancy caused by rape:
(d) Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped:
(e) Failure of any contraceptive device or method:

B. Between 20-24 weeks of gestation
(a) Survivors of Sexual Assault/Rape/Incest:
(b) Minors:
(c) Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce):
(d) Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)]:
(e) Mentally ill women including mental retardation:
(f) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:
(g) Women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergency situations as declared by Government:

C. Beyond 24 weeks of gestation
(a) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:

Signature of the Officer In-charge with Date

FORM III

[Refer Regulation 5]

Admission Register

(To be destroyed on the expiry of five years from the date of the last entry in the Register)

Name of Facility: ______________________________

Month ______________ Year ________

S. No.	Date of Admission	Name of the Patient	Wife / Daughter of	Age	Religion	Address	Duration of Pregnancy	Reasons on which Pregnancy is terminated	Date of termination of Pregnancy	Date of discharge of patient	Result & Remarks	Name of Registered Medical Practitioner(s) by whom the opinion is formed *(For pregnancy beyond 24 weeks mention the names of Medical Board members)*	Name of Registered Medical Practitioner(s) by whom Pregnancy is terminated	Method of MTP (MVA/ EVA/ MMA/ D&C/ Others)	Post Abortion Contraception (Tubal Ligation (TL)/IUCD/ OCP/ Injectables/ Others/ None)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

दण्ड के प्राविधान

- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी न होते हुए भी गर्भ का समापन करने वाले व्यक्ति को 02–07 वर्ष तक के कठोर कारावास से दण्डित किया जा सकता है। **धारा 5 (2)**
- धारा 4 के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गर्भ समापन करने परः–
    - गर्भ समापन करने वाले चिकित्सक/व्यक्ति को 02–07 वर्ष तक के कठोर कारावास से दण्डित किया जा सकता है। **धारा 5(3)**
    - स्थान के स्वामी को 02–07 वर्ष तक के कठोर कारावास से दण्डित किया जा सकता है। **धारा 5(4)**

यौन हिंसा या बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार के कारण गर्भसमापन के मामलों में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये:–

- किसी भी गर्भावस्था के मामले में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के क्रम में सम्बन्धित जाँच अधिकारी पीड़िता को गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिक/अधीक्षिका के समक्ष 24 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करेगें।

- तत्पश्चात् अर्ह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पीड़िता की पूर्व उपलब्ध रिपोर्टों के साथ–साथ यथाशीघ्र पुनः परीक्षण/जाँच करवाकर पीड़िता (Any women including Single/Unmarried etc.) के गर्भ की समयावधि सुनिश्चित की जायेगी।

- गर्भ समापन के पूर्व सहमति पत्र की औपचारिकता आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये। एम0टी0पी0 एक्ट, 1971 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित एम0टी0पी0 रूल्स, 2003 के नियम 9 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गर्भ समापन हेतु गर्भवती महिला द्वारा अथवा उसके संरक्षक द्वारा सहमति **प्रारूप–ग** पर दी जानी है।

- गर्भ समापन हेतु उच्च केन्द्र पर सन्दर्भन आवश्यक होने की दशा में चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराते हुए पीड़िता को एम्बुलेन्स के माध्यम से उच्च केन्द्र पर भेजा जाये।

- यदि मामला 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के समापन का है तो ऐसी दशा में मामले को तत्काल जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से राय हेतु "राज्य मेडिकल बोर्ड" को सन्दर्भित किया जाये।

- सम्बन्धित चिकित्सक भ्रूण को संरक्षित करना सुनिश्चित करवायें तथा पीड़िता को जल्दबाजी में चिकित्सालय से अवमुक्त न किया जाये, ताकि पीड़िता के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके तथा यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके।

- सम्बन्धित चिकित्सक गर्भ समापन के बिना पीड़िता को चिकित्सालय से अवमुक्त करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगें, जिससे कि भ्रूण से सम्बन्धित विशिष्ट साक्ष्य नष्ट न हो जायें।

- सम्बन्धित चिकित्सक का यह दायित्व होगा कि यौन पीड़िता को दिये गये उपचार का विस्तृत उल्लेख करेगें एवं गर्भ समापन हेतु अपनायी गयी विधि का भी उल्लेख करेगें।

- यौन पीड़िता का यदि चिकित्सकीय परीक्षण हुआ है, तो समस्त चिकित्सालय यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसी पीड़िता के मूल चिकित्सकीय विधि प्रमाण पत्र (एम0एल0सी0) एवं अवमुक्तिकरण सारांश (डिस्चार्ज समरी) की टंकित प्रति भी तैयार की जायेगी और एक सप्ताह के भीतर जाँच अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित चिकित्सालय समय की बचत के दृष्टिगत् चिकित्सकीय विधि प्रमाण पत्र (एम0एल0सी0) इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं।

मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 5194/2024 A (Mother of X) Vs. State of Maharashtra & Anr. में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2024 के मुख्य बिन्दु

- The MTP Act protects the RMP and the medical boards when they form an opinion in good faith as to the termination of pregnancy.

- The medical board, in forming its opinion on the termination of pregnancies must not restrict itself to the criteria under Section 3(2-B) of the MTP Act but must also evaluate the physical and emotional well being of the pregnant person in terms of the judgment.

- When issuing a clarificatory opinion the medical board must provide sound and cogent reasons for any change in opinion and circumstances; and

- The consent of a pregnant person in decisions of reproductive autonomy and termination of pregnancy is paramount. In case there is a divergence in the opinion of pregnant person and her guardian, the opinion of the minor or mentally ill pregnant person must be taken into consideration as an important aspect in enabling the court to arrive at a just conclusion.

सन्दर्भ

(1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "Guidelines and Examination Proforma for Medico Legal Cases of Victims of Sexual Violence"

URL "https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/953522324.pdf"

(2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "Handbook on Medical Methods on Abortion"

URL

"https://nhm.gov.in/images/pdf/programmes/maternal-health/guidelines/MMA_Handbook.pdf"

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उ०प्र०